रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-24022022-233700
CG-MH-E-24022022-233700

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104]	नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 23, 2022/फाल्गुन 4, 1943
No. 104]	NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 23, 2022/PHALGUNA 4, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 23 फरवरी, 2022

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) (संशोधन) विनियम, 2022

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/ 73.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जा सकेगा ।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) विनियम, 1992 में -

I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (गक) खंड (गख) के रूप में पुनःसंख्यांकित हो जाएगा, और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड से पहले, निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"(गक) "पेशेवर समाशोधन सदस्य" (प्रोफेशनल क्लीयरिंग मेंबर) का अर्थ है – ऐसा सदस्य जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) में समाशोधन (क्लीयरिंग) और निपटान (सेटलमेंट) के अधिकार हों, किंतु किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सौदेबाजी (ट्रेडिंग) के अधिकार न हों ।"

II. अनुसूची-V में,

(i) भाग-क में, खंड 1क के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"1ख. यह अनुसूची ऐसे प्रत्येक स्टॉक दलाल के प्रति लागू होगी जो, रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने की तारीख से, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद खंड (सेगमेंट) में लेनदेन (डील) करता हो और ऐसे प्रत्येक समाशोधन सदस्य (क्लीयरिंग मेंबर) / स्व-समाशोधन सदस्य (सेल्फ क्लीयरिंग मेंबर) के प्रति लागू होगी जो, रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने की तारीख से, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद खंड में सौदों (ट्रेड) का समाशोधन (क्लीयरिंग) और निपटान (सेटलमेंट) करता हो ।"

(ii) भाग-ख में, खंड 3 में, उप-खंड (1) में, सारणी में, 'ऋण (डैट)' खंड संबंधी पंक्ति के बाद, निम्नलिखित नई पंक्ति जोड़ी जाएगी, अर्थात्,-

"

खंड (सेगमेंट)	**दर / रकम (₹ में)**			**टिप्पणियाँ**
	स्टॉक दलाल	**समाशोधन सदस्य (क्लीयरिंग मेंबर)**	**स्व-समाशोधन सदस्य (सेल्फ-क्लीयरिंग मेंबर)**	
इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद खंड	व्यापारावर्त (टर्नओवर) का 0.00010 प्रतिशत (₹ 10 प्रति करोड़	*	*	इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद में बिक्री तथा खरीद के समस्त लेनदेन (संव्यवहार / ट्रांजैक्शन) ।

* जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए"

I. अनुसूची-VI में,

(i) खंड 1 के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"1. स्टॉक दलाल की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) उतनी होगी और वह स्टॉक एक्सचेंज के पास उतनी जमाराशि रखेगा, जितनी बोर्ड / स्टॉक एक्सचेंज द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाए ।"

(ii) खंड 3 के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"3. प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में सौदेबाजी (ट्रेडिंग) करने वाले / हुए सौदों (ट्रेड) का समाशोधन (की क्लीयरिंग) और निपटान (सेटलमेंट) करने वाले व्यापारिक सदस्य (ट्रेडिंग मेंबर) / स्व-समाशोधन सदस्य (सेल्फ क्लीयरिंग मेंबर) / समाशोधन सदस्य (क्लीयरिंग मेंबर) / पेशेवर समाशोधन सदस्य (प्रोफेशनल क्लीयरिंग मेंबर) द्वारा उतनी शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) और जमाराशि रखी जाएगी जितनी इस अनुसूची की सारणी-1 एवं सारणी-2 में बताई गई है।"

(iii) खंड 5 के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"5. स्टॉक दलाल / समाशोधन सदस्य (क्लीयरिंग मेंबर) की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) [जिसका उल्लेख इस अनुसूची की सारणी-1 में किया गया है] की गणना सभी खंडों (सेगमेंट) / स्टॉक एक्सचेंजों के लिए की जाएगी ।"

(iv) खंड 6 खंड 7 के रूप में पुनःसंख्यांकित हो जाएगा, और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड से पहले निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"6. (1) जहाँ व्यापारिक सदस्य (ट्रेडिंग मेंबर) / स्व-समाशोधन सदस्य (सेल्फ-क्लीयरिंग मेंबर), समाशोधन सदस्य (क्लीयरिंग मेंबर) / पेशेवर समाशोधन सदस्य (प्रोफेशनल क्लीयरिंग मेंबर) / समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) के यहाँ जमाराशि रखता हो, वहाँ उस व्यापारिक सदस्य (ट्रेडिंग मेंबर) / स्व-समाशोधन सदस्य (सेल्फ-क्लीयरिंग मेंबर) के लिए उतनी रकम तक की परिवर्तनीय शुद्ध-मालियत (वैरिएबल नेटवर्थ) रखनी जरूरी नहीं होगी जितनी रकम तक का ग्राहक का पैसा (फंड) उसने समाशोधन सदस्य (क्लीयरिंग मेंबर) / पेशेवर समाशोधन सदस्य (प्रोफेशनल क्लीयरिंग मेंबर) / समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) के यहाँ जमा रखा हुआ हो ।

(2) जहाँ व्यापारिक सदस्य (ट्रेडिंग मेंबर) ग्राहक का पैसा (फंड) समाशोधन सदस्य (क्लीयरिंग मेंबर) / पेशेवर समाशोधन सदस्य (प्रोफेशनल क्लीयरिंग मेंबर) के यहाँ जमा रखता हो, वहाँ समाशोधन सदस्य (क्लीयरिंग मेंबर) / पेशेवर समाशोधन सदस्य (प्रोफेशनल क्लीयरिंग मेंबर) के स्तर पर परिवर्तनीय शुद्ध-मालियत (वैरिएबल नेटवर्थ) की गणना करते समय समाशोधन सदस्य (क्लीयरिंग मेंबर) / पेशेवर समाशोधन सदस्य (प्रोफेशनल क्लीयरिंग मेंबर) के यहाँ जमा रखे गए व्यापारिक सदस्य के ग्राहकों के पैसों (फंड) को भी हिसाब में लिया जाएगा ।

(3) जहाँ स्व-समाशोधन सदस्य (सेल्फ-क्लीयरिंग मेंबर) / समाशोधन सदस्य (क्लीयरिंग मेंबर) / पेशेवर समाशोधन सदस्य (प्रोफेशनल क्लीयरिंग मेंबर) ग्राहक का पैसा (फंड) समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) के यहाँ जमा रखता हो, वहाँ इस प्रकार जमा कराए गए पैसे (फंड) को स्व-समाशोधन सदस्य (सेल्फ-क्लीयरिंग मेंबर) / समाशोधन सदस्य (क्लीयरिंग मेंबर) / पेशेवर समाशोधन सदस्य (प्रोफेशनल क्लीयरिंग मेंबर) के स्तर पर परिवर्तनीय शुद्ध-मालियत (वैरिएबल नेटवर्थ) की गणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जाएगा:

परंतु यह कि व्यापारिक सदस्य (ट्रेडिंग मेंबर) / स्व-समाशोधन सदस्य (सेल्फ-क्लीयरिंग मेंबर) / समाशोधन सदस्य (क्लीयरिंग मेंबर) / पेशेवर समाशोधन सदस्य (प्रोफेशनल क्लीयरिंग मेंबर) द्वारा स्वीकार की गई नकद रकम / मीयादी जमा (फिक्स्ड डिपॉज़िट) की रसीदों / बैंक गारंटी को परिवर्तनीय शुद्ध-मालियत (वैरिएबल नेटवर्थ) की गणना करते समय हिसाब में लिया जाएगा:

परंतु यह और कि व्यापारिक सदस्य (ट्रेडिंग मेंबर) द्वारा समाशोधन सदस्य (क्लीयरिंग मेंबर) / पेशेवर समाशोधन सदस्य (प्रोफेशनल क्लीयरिंग मेंबर) के यहाँ और स्व-समाशोधन सदस्य (सेल्फ-क्लीयरिंग मेंबर) / समाशोधन सदस्य (क्लीयरिंग मेंबर) / पेशेवर समाशोधन सदस्य (प्रोफेशनल क्लीयरिंग मेंबर) द्वारा समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) के यहाँ जमा कराई गई ग्राहक की नकद रकम / मीयादी जमा (फिक्स्ड डिपॉज़िट) की रसीदों / बैंक गारंटी को परिवर्तनीय शुद्ध-मालियत (वैरिएबल नेटवर्थ) की गणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।"

(v) खंड 7 के बाद दी हुई सारणी-1 और सारणी-2 के स्थान पर निम्नलिखित सारणियाँ आ जाएंगी, अर्थात्,-

"**सारणी-1**

प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में लेनदेन (डीलिंग) करने वाले सदस्यों की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ)

सदस्य का प्रकार	**मूलभूत शुद्ध-मालियत (बेस नेटवर्थ) {भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) (संशोधन) विनियम, 2022 के अधिसूचित होने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर} (₹ में)**	**मूलभूत शुद्ध-मालियत (बेस नेटवर्थ) {भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) (संशोधन) विनियम, 2022 के अधिसूचित होने की तारीख से 2 वर्षों के भीतर} (₹ में)**	**परिवर्तनीय शुद्ध-मालियत (वैरिएबल नेटवर्थ) {भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) (संशोधन) विनियम, 2022 के अधिसूचित होने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर} #**
व्यापारिक सदस्य (ट्रेडिंग मेंबर)	-	1 करोड़	पिछले 6 महीनों में समस्त खंडों / एक्सचेंजों के मामले में सदस्य के यहाँ रखी गई ग्राहकों के प्रतिदिन के औसत नकदी शेष (कैश बैलेंस) का 10%
स्व-समाशोधन सदस्य (सेल्फ-क्लीयरिंग मेंबर)	3 करोड़*	5 करोड़	
समाशोधन सदस्य (क्लीयरिंग मेंबर)	10 करोड़*	15 करोड़	
पेशेवर समाशोधन सदस्य (प्रोफेशनल क्लीयरिंग मेंबर)	25 करोड़	50 करोड़	

***** करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट (मुद्रा व्युत्पन्नी खंड) में, स्व-समाशोधन सदस्य (सेल्फ क्लीयरिंग मेंबर) और समाशोधन सदस्य की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) कम से कम क्रमशः 5 करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये की होगी ।

सदस्यों (मेंबर) की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) मूलभूत शुद्ध-मालियत (बेस नेटवर्थ) या परिवर्तनीय शुद्ध-मालियत (वैरिएबल नेटवर्थ), जो भी अधिक हो, होगी ।

सारणी-2

प्रतिभूतियों में लेनदेन (डीलिंग) करने वाले सदस्यों के लिए जमाराशि (डिपॉज़िट)

खंड (सेगमेंट)		**व्यापारिक सदस्य (ट्रेडिंग मेंबर) (₹ में)**	**समाशोधन सदस्य (क्लीयरिंग मेंबर) (₹ में)**	**स्व-समाशोधन सदस्य (सेल्फ-क्लीयरिंग मेंबर) (₹ में)**
नकदी (कैश)		*	*	*
इक्विटी डेरिवेटिव		*	50 लाख	50 लाख
करेंसी डेरिवेटिव		*	50 लाख	50 लाख
ऋण (डैट)		*	*	*
कमोडिटी डेरिवेटिव	**एनसीडीई**	शून्य	50 लाख	50 लाख
	आरसीडीई	शून्य	*	*
इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद		*	1 करोड़	1 करोड़

एनसीडीई : राष्ट्रीय स्तर के कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज

आरसीडीई : क्षेत्रीय स्तर के कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज

* जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए ।"

(vi) सारणी-2 के बाद दिए हुए स्पष्टीकरण संबंधी खंड के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"स्पष्टीकरण 1:

इस अनुसूची के प्रयोजनार्थ, 'मूलभूत शुद्ध-मालियत' (बेस नेटवर्थ) का अर्थ होगा – समादत्त पूँजी (पेड-अप कैपिटल), पूर्ण रूप से और अनिवार्य रूप से संपरिवर्तनीय (कन्वर्टिबल) ऐसे डिबेंचर / बॉण्ड / वारंट जिनका संपरिवर्तन उन्हें जारी किए जाने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के भीतर किया जाना हो, खुली आरक्षितियाँ (फ्री रिज़र्व) और अन्य प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) [जिनके संबंध में बोर्ड द्वारा समय-समय पर मंजूरी प्रदान की गई हो], किंतु इसमें ये शामिल नहीं होंगे - अचल आस्तियाँ (फिक्स्ड असेट्स), गिरवी रखी गई प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़), सदस्य के कार्ड का मूल्य, जिन प्रतिभूतियों के संबंध में मंजूरी प्रदान न की गई हो वे प्रतिभूतियाँ [असूचीगत प्रतिभूतियाँ (अनलिस्टिड सिक्यूरिटीज़)], दोषयुक्त सुपुर्दगियाँ (बैड डिलीवरीज़), किसी भी प्रकार के ऋण और अग्रिम (एडवांस) [उन देनदारों (ट्रेड डैटर) को छोड़कर जिन्होंने सौदों (ट्रेड) के संबंध में 3 महीनों से कम समय के लिए ऋण लिया हो], अग्रिम खर्चे (प्रीपेड एक्सपेंसेस), नुकसान, अमूर्त आस्तियाँ और विपणनयोग्य प्रतिभूतियों (मार्केटेबल सिक्यूरिटीज़) के मूल्य का 30%:

परंतु यह कि यदि प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) के यहाँ गिरवी रखी जाती हों, तो ऐसे में हेयरकट के बाद व्यापारिक सदस्य (ट्रेडिंग मेंबर) / समाशोधन सदस्य (क्लीयरिंग मेंबर) के शेयरों के मूल्य (जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए) को शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) की गणना करने हेतु हिसाब में लिया जाएगा:

परंतु यह और कि ऋण खंड (डैट सेगमेंट) के लिए निर्धारित जमाराशि संबंधी अपेक्षा तब लागू नहीं होगी, जब कोई समाशोधन सदस्य सभी सौदों (ट्रेड) का समाशोधन (की क्लीयरिंग) और उनका निपटान (सेटलमेंट) प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) और पैसों (फंड) दोनों के मामले में, निपटान (सेटलमेंट) या ट्रेड (व्यापार) गारंटी निधि (फंड) का इस्तेमाल किए बिना ही, केवल सकल आधार पर करे:

परंतु यह और कि जहाँ ऋण खंड (डैट सेगमेंट) में स्टॉक दलाल, समाशोधन सदस्य (क्लीयरिंग मेंबर) या स्व-समाशोधन सदस्य (सेल्फ क्लीयरिंग मेंबर) को बोर्ड से भिन्न किसी क्षेत्र विशेष के विनियामक (रेग्यूलेटर) द्वारा भी विनियमित (रेग्यूलेट) किया जाता हो, तो ऐसे में शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) की गणना उसी प्रकार की जाएगी जैसा उस क्षेत्र विशेष के विनियामक (रेग्यूलेटर) द्वारा निर्धारित किया गया हो या जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया हो (जो भी अधिक हो) ।

स्पष्टीकरण 2: इस अनुसूची के प्रयोजनार्थ, खुली आरक्षितियों (फ्री रिज़र्व) में लाभ और हानि, साधारण आरक्षिति, सिक्यूरिटीज़ प्रीमियम, अधिमानी शेयर मोचन आरक्षिति (प्रेफरेंस शेयर रिडेंप्शन रिज़र्व) और पूंजीगत मोचन आरक्षिति (कैपिटल रिडेंप्शन रिज़र्व) शामिल होंगे, किंतु इनमें आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा सृजित आरक्षितियाँ (रिज़र्व) शामिल नहीं होंगी ।"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./659/2021-22]

पाद टिप्पण:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992, मूल विनियम, का.आ. सं. 780 (अ), 23 अक्तूबर, 1992 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. मूल विनियम तत्पश्चात् :

(क) 28 नवम्बर 1995 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 1995, का.आ. सं. 939(अ), द्वारा

(ख) 5 जनवरी 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 13(अ), द्वारा

(ग) 21 जनवरी 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 75(अ), द्वारा

(घ) 16 दिसम्बर 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 1078(अ), द्वारा

(ङ) 6 जुलाई 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 541(अ), द्वारा

(च) 14 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 234(अ), द्वारा

(छ) 28 मार्च 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 278 (अ), द्वारा

(ज) 30 अगस्त 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 787 (अ), द्वारा

(झ) 29 मई 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476(अ), द्वारा

(ञ) 15 नवम्बर 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 1128(अ), द्वारा

(ट) 20 फरवरी 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 220(अ), द्वारा

(ठ) 27 सितम्बर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं. 1045(अ), द्वारा

(ड) 23 सितम्बर 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 1095(अ), द्वारा

(ढ) 20 नवम्बर 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003, फा.सं. भाप्रविबो/विधि/20795/2003, द्वारा

(ण) 10 मार्च 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398(अ), द्वारा

(त) 1 अगस्त 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1235(अ), द्वारा

(थ) 7 सितम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1447 (अ), द्वारा

(द) 25 सितम्बर 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1600 (अ), द्वारा

(ध) 26 मई 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्ती) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/11/126538, द्वारा

(न) 11 अगस्त 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2008, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/20/134766, द्वारा

(प) 29 जून 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/11/167759, द्वारा

(फ) 19 नवम्बर 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2009-10/21/183853, द्वारा

(ब) 13 अप्रैल 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2010, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2010-11/06/1097, द्वारा

(भ) 6 अप्रैल 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना फा. सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/01/11486, द्वारा

(म) 19 अप्रैल 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2011-12/03/12650, द्वारा

(य) 17 अगस्त 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2011, अधिसूचना सं. एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/19/26273, द्वारा

(कक) 5 अप्रैल 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2013, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/01/8129, द्वारा

(कख) 27 सितम्बर 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/25/24775, द्वारा

(कग) 23 मई 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा

(कघ) 8 अक्तूबर 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/15/1671, द्वारा

(कङ) 8 सितम्बर 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएल/2015-16/017, द्वारा

(कच) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान

और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित]

(कछ) 13 जुलाई 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/005, द्वारा

(कज) 13 मार्च 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/03, द्वारा

(कझ) 30 जुलाई 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/27, द्वारा

(कञ) 22 मार्च 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान) (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/30, द्वारा

(कट) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

(कठ) 8 मई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान) (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/11, द्वारा

(कड) 30 मार्च 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक दलाल) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/14, द्वारा

(कढ) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/23, द्वारा

(कण) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd February, 2022

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (STOCK BROKERS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2022

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/73.—In exercise of the powers conferred under Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) (Amendment) Regulations, 2022.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) Regulations, 1992-
   I. In regulation 2, in sub-regulation (1), clause (ca) shall be renumbered as (cb) and before the clause so renumbered, the following new clause shall be inserted, namely, -

"(ca) "professional clearing member" means a member having clearing and settlement rights in any recognized clearing corporation, but not having trading rights in any recognized stock exchange."

II. **In Schedule V,**

(i) in Part A, after clause 1A, the following clause shall be inserted, namely, -

"1B. This schedule shall apply to every stock broker who deals in electronic gold receipt segment and every clearing member / self-clearing member who clears and settles trades in electronic gold receipt segment, from the date of grant of registration."

(ii) in Part B, in clause 3, in sub-clause (1), in the table, after the row for the 'Debt' Segment, the following new row shall be inserted, namely, -

"

Segment	**Rate/Amount (in ₹)**			**Remarks**
	Stock broker	**Clearing member**	**Self-clearing member**	
Electronic Gold Receipt Segment	0.00010 percent of turnover (₹ 10 per crore)	*	*	All sale and purchase transactions in Electronic Gold Receipt.

*As may be specified by the Board from time to time"

III. **In Schedule VI,**

(i) Clause 1 shall be substituted with the following, namely, -

"1. The stock broker shall have such networth and shall deposit with the stock exchange such sum as may be specified by the Board/ stock exchange from time to time."

(ii) Clause 3 shall be substituted with the following, namely, -

"3. The quantum of networth and deposit to be maintained by the trading member/ self-clearing member/ clearing member/ professional clearing member, dealing/clearing and settling trades in securities, shall be as specified in Table 1 and Table 2 of this Schedule."

(iii) Clause 5 shall be substituted with the following, namely, -

"5. The quantum of networth to be maintained by the stock broker/clearing member, as specified in Table 1 of this Schedule, shall be reckoned for all segments/stock exchanges."

(iv) Clause 6 shall be renumbered as Clause 7 and before the clause so renumbered, the following new clause shall be inserted, namely, -

"6. (1) Where the trading member/ self-clearing member deposits the fund with the clearing member/ professional clearing member/ clearing corporation, the maintenance of variable networth would not be required by that trading member/ self-clearing member to the extent of client's funds deposited with clearing member/ professional clearing member/ clearing corporation.

(2) Where the trading member deposits the client's funds with clearing member/ professional clearing member, the computation of variable networth at the level of clearing member/ professional clearing member shall also include the funds of the clients of trading member deposited with the clearing member/ professional clearing member.

(3) Where the self-clearing member/ clearing member/ professional clearing member deposits the client's funds with the clearing corporation, the same shall be excluded while calculating the variable networth at the level of the self-clearing member/ clearing member/ professional clearing member:

Provided that the cash / Fixed Deposit Receipts/ Bank Guarantee accepted by trading member/ self-clearing member/ clearing member/ professional clearing member shall be included while calculating the variable networth:

Provided further that the cash / Fixed Deposit Receipts/ Bank Guarantee of clients deposited by trading member with clearing member/ professional clearing member and by self-clearing member/ clearing member/ professional clearing member with the clearing corporation shall be excluded while calculating the variable networth."

(v) After clause 7, Table 1 and Table 2 shall be substituted with the following, namely, -

"<u>TABLE 1</u>

NETWORTH FOR MEMBERS DEALING IN SECURITIES

Type of Member	**Base Networt {within 1 year of the date of notification of the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) (Amendment) Regulations, 2022} (in ₹)**	**Base Networt {within 2 years of the date of notification of the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) (Amendment) Regulations, 2022} (in ₹)**	**Variable Networth {within 1 year of the date of notification of the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) (Amendment) Regulations, 2022} #**
Trading Member	-	1 crore	10% of average daily cash balance of clients retained with the member across segments/ exchanges in the previous 6 months.
Self-Clearing Member	3 crore*	5 crore	
Clearing Member	10 crore*	15 crore	
Professional Clearing Member	25 crore	50 crore	

* In Currency Derivative Segment, Self-Clearing Member and Clearing Member shall have minimum networth of Rs. 5 crore and Rs. 10 crore, respectively.
# Networth requirement for members shall be Base Networth or Variable Networth, whichever is higher.

TABLE 2

DEPOSIT FOR MEMBERS DEALING IN SECURITIES

Segment		Trading member (in ₹)	Clearing member (in ₹)	Self-clearing member (in ₹)
Cash		*	*	*
Equity Derivatives		*	50 Lakh	50 Lakh
Currency Derivatives		*	50 Lakh	50 Lakh
Debt		*	*	*
Commodity Derivatives	**NCDE**	Nil	50 Lakh	50 Lakh
	RCDE	Nil	*	*
Electronic Gold Receipts		*	1 crore	1 crore

NCDE: National Commodity Derivatives Exchanges

RCDE: Regional Commodity Derivatives Exchanges

*As may be specified by the Board from time to time."

(vi) after Table 2, the Explanation clause shall be substituted with the following, namely, -

"Explanation 1:

For the purposes of this Schedule, 'base networth' shall mean paid up capital, fully, compulsorily and mandatorily convertible debentures / bonds / warrants which are convertible within a period of 5 years from the date of issue, free reserves and other securities approved by the Board from time to time, but shall not include fixed assets, pledged securities, value of member's card, non-allowable securities (unlisted securities), bad deliveries, any debts and advances (except trade debtors of less than 3 months), prepaid expenses, losses, intangible assets and 30% value of marketable securities:

Provided that in case of securities pledged to clearing corporation, the post haircut value of shares owned by the Trading Member / Clearing Member, as may be specified by the Board from time to time, shall be considered for computation of the networth:

Provided further that the deposit requirement specified for the debt segment shall not be applicable when a clearing member clears and settles all the trades only on gross basis for both securities and funds, without using settlement or trade guarantee fund:

Provided further that where the stock broker, clearing member or self-clearing member in the debt segment, is also regulated by a sectoral regulator other than the Board, the networth shall be computed in the manner as specified by such sectoral regulator or as specified by the Board, whichever is higher.

Explanation 2: For the purposes of this Schedule, free reserves shall include Profit and Loss, General Reserve, Securities Premium, Preference Share Redemption Reserve and Capital Redemption Reserve, but shall not include reserves created by revaluation of assets."

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./659/2021-22]

Footnotes:

1. Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992, the Principal Regulations, was published in the Gazette of India on October 23, 1992 vide S.O. No. 780 (E).

2. The Principal Regulations were subsequently amended on:

(a) November 28, 1995 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 1995 vide S.O. No. 939 (E).

(b) January 5, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 13 (E).

(c) January 21, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 75 (E).

(d) December 16, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Third Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 1078 (E).

(e) July 6, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No. 541 (E).

(f) March 14, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 234 (E).

(g) March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 278 (E).

(h) August 30, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 787 (E).

(i) May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No. 476(E).

(j) November 15, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No. 1128 (E).

(k) February 20, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No. 220 (E).

(l) September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No. 1045 (E).

(m) September 23, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 1095 (E).

(n) November 20, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2003 vide F. No. SEBI /LAD /20795/2003.

(o) March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E).

(p) August 1, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 1235 (E).

(q) September 7, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 1447 (E).

(r) September 25, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Third Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 1600(E).

(s) May 26, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Intermediaries) Regulations, 2008 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2008/11/126538.

(t) August 11, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub Brokers) (Amendment) Regulations, 2008 vide Notification No. LADNRO/ GN/2008/ 20/134766.

(u) June 29, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2009 vide Notification No. LADNRO/ GN/2009- 10/11/ 167759.

(v) November 19, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2009 vide Notification No. LADNRO/ GN/2009-10/21/183853.

(w) April 13, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub Brokers) (Amendment) Regulations, 2010 vide Notification No. LADNRO/GN/2010-11/06/1097.

(x) April 6, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. F. No. LAD – NRO/ GN/ 2011 – 12/01/11486.

(y) April 19, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment)Regulations, 2011 vide Notification No. LAD/NRO/GN/2011-12/03/12650.

(z) August 17, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2011 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2011- 12/19/26273.

(aa) April 5, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2013 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2013-14/01/8129.

(ab) September 27, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Second Amendment) Regulations, 2013 vide Notification No. No. LADNRO/GN/2013-14/25/24775.

(ac) May 23, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.

(ad) October 8, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2014 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2014-15/15/1671.

(ae) September 8, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2015 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2015- 16/017.

(af) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016-17/037 read with March 29, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016-17/038.

(ag) July 13, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2017-18/005.

(ah) March 13, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers)(Amendment) Regulations, 2018 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/03.

(ai) July 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers and Sub-Brokers)(Second Amendment) Regulations, 2018 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/27.

(aj) March 22, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2019 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/03.

(ak) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

(al) May 08, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2020 vide Notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/011.

(am) March 30, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Stock Brokers) (Amendment) Regulations, 2021 vide Notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/14.

(an) May 05, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2021 vide Notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/23.

(ao) August 03, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide Notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.02.24 11:18:47 +05'30'